प्रेषक,

मदन मोहन,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 मार्च 2024

विषय:- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश उर्फ बव्वन पुत्र श्री नगीना यादव निवासी जनपद-बलिया की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-27981/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-04-08-2022) दिनांक-31-08-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश उर्फ बव्वन पुत्र श्री नगीना यादव, उससा, थाना-पकडी, जनपद-बलिया का निवासी है। ग्राम समाज की जमीन को कब्जा करने की रंजिश को लेकर दिनांक 01-01-2006 को बन्दी ने अपने 22 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के घर में पुआल रखकर आग लगा दिया और भागने पर दौड़ाकर लाठी, डण्डों से पीटकर चन्द्रदेव यादव नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-167/2006 धारा-147, 436, 323, 307, 302, 506 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 विशेष/अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया के आदेश दिनांक-22-12-2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक 30-06-2021 तक बन्दी की आयु 41 वर्ष है तथा बन्दी द्वारा दिनांक 30-06-2021 तक 15 वर्ष, 02 माह, 14 दिन की अपरिहार सजा तथा सपरिहार 17 वर्ष, 07 माह, 14 दिन सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलिया ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, रिहा होने पर पुन: अपराध कारित किये जाने की सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 30-06-2021 तक अपरिहार 15 वर्ष, 02 माह, 14 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 07 माह, 14 दिन की भोगी गयी लम्बी सजावधि, जेल आचरण सन्तोषजनक होने, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने में उपयुक्त होने, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार/आख्या अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश उर्फ बव्वन पुत्र श्री नगीना यादव को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश उर्फ बव्वन (बन्दी संख्या-453/2019) पुत्र श्री नगीना यादव, निवासी जनपद-बलिया की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई स्वीकार किये जाने की संस्तुति को यू0 पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-30/2024/3072(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।
2- अधीक्षक, जिला कारागार गौतमबुद्ध नगर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित स्पेशल लीव टू अपील (क्रिमिनल) संख्या-1224/2022 राजेश उर्फ बच्चन यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से सहबद्ध स्पेशल लीव टू अपील (क्रिमिनल) संख्या-1222/2022 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-30/2024/3072/22-2-2022-17(1541)/2022

दिनांक 18 मार्च, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश उर्फ बव्वन पुत्र श्री नगीना यादव, उससा, थाना-पकडी, जनपद-बलिया का निवासी है। ग्राम समाज की जमीन को कब्जा करने की रंजिश को लेकर दिनांक 01-01-2006 को बन्दी ने अपने 22 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के घर में पुआल रखकर आग लगा दिया और भागने पर दौड़ाकर लाठी, डण्डों से पीटकर चन्द्रदेव यादव नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-167/2006 धारा-147, 436, 323, 307, 302, 506 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 विशेष/अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया के आदेश दिनांक-22-12-2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक 30-06-2021 तक बन्दी की आयु 41 वर्ष है तथा बन्दी द्वारा दिनांक 30-06-2021 तक 15 वर्ष, 02 माह, 14 दिन की अपरिहार सजा तथा सपरिहार 17 वर्ष, 07 माह, 14 दिन सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलिया ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, रिहा होने पर पुन: अपराध कारित किये जाने की सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा दिनांक 30-06-2021 तक अपरिहार 15 वर्ष, 02 माह, 14 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 07 माह, 14 दिन की भोगी गयी लम्बी सजावधि, जेल आचरण सन्तोषजनक होने, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने में उपयुक्त होने, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार/आख्या अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश उर्फ बव्वन पुत्र श्री नगीना यादव को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई स्वीकार किये जाने की संस्तुति को यू0 पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।